<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>बंटवारा वाद सं0–09/2017</u>

मैनानाथ...वादी

बनाम

तेतरनाथ एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
14.12.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 17.08.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–28 इश्वरी नाथ की मृत्यु दिनांक 28.04.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–28 इश्वरी नाथ के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी तथा छः पुत्री तथा एक पुत्र को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–28 इश्वरी नाथ का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–28 इश्वरी नाथ की मृत्यु हो गई है, जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल नही किया गया है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा धारा 05 परिसीमा अधिनियम एवं आदेश 22 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन भी दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–28 इश्वरी नाथ का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–09/2017

मैनानाथ..वादी

बनाम

तेतरनाथ एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार 14.12.2023	करें तद्पश्चात वादी की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 17.01.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	